

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला— चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – डॉ० कृति व्यास (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –48 / 2023

अनवान

प्रभुलाल पुत्र जोधा जी रेगर उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम भैंसरोडगढ़ तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

– वादीगण

बनाम

1. श्री नारायण पुत्र जोधा रेगर उम्र बालिग निवासी ग्राम भैंसरोडगढ़ तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमति भंवरी बाई पुत्री जोधा रेगर पत्नि गोपी जी रेगर उम्र बालिग निवासी ग्राम सुखपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

– प्रतिवादी / विपक्षीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री प्रदीप कुमार बिल्लू अभिभाषक वादी
प्रतिवादी सं० 01, 02 एकतरफा
03 परोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 25.03.2026

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के संयुक्त खाते की जमीन ग्राम भवानीपुरा प०ह० भैंसरोडगढ़ में स्थित खाता संख्या 60 खसरा संख्या 125 रकबा 0.01 है०, आराजी संख्या 126 रकबा 0.69 है०, आराजी संख्या 127 रकबा 1.08 है० कुल किता 03 कुल रकबा 1.78 है० भूमि स्थित है। उक्त जमीन मरूसी है हमारे पिता जोधा जी का निधन होने के बाद दोनो भाई नारायण व प्रभु तथा हमारी बहन भंवरी बाई के नाम उक्त जमीन का नामान्तरण खुला है, इस जमीन पर हम तीनों भाई बहनों का 1/3-1/3 का हिस्सा है। उक्त जमीन की सीमा तथा रास्ते को लेकर हम भाईयो में विवाद होता रहता है, इसलिए खाते अलग अलग किया जाना आवश्यक है, मुझ वादी ने दिनांक 20.06.2023 प्रतिवादी संख्या 01 को खाते अलग अलग कराने के लिए कहा तो वह लडाई झगडा करने पर आमदा हो गया, इसलिए वाद कारण दिनांक 20.06.2023 से उत्पन्न होकर हर रोज उत्पन्न हो रहा है। अंत में वादी द्वारा निवेदन किया कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भवानीपुरा प०ह० भैंसरोडगढ़ में स्थित खाता संख्या 60 खसरा संख्या 125 रकबा 0.01 है०, आराजी संख्या 126 रकबा 0.69 है०, आराजी संख्या 127 रकबा 1.08 है० कुल किता 03 कुल रकबा 1.78 है० भूमि में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को 1/3-1/3 का खातेदार घोषित कर उसी अनुरूप बंटवारा अच्छी से अच्छी तथा बुरी से बुरी



मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के बीच 1/3-1/3 के अनुसार करवाया जाकर खाते अलग-अलग किये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। प्रतिवादी संख्या 03 परोकार सरकार द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि परोकार सरकार प्रकरण में एक Formal Party है अतः जवाब वांछनिय नहीं होने से बंद किया जावें। परोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं कर वाद पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 02 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही होने तथा प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा वाद पत्र के खण्डन नही करने से वाद पत्र 20.03.2024 को स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 02 के मध्य ग्राम भवानीपुरा प0ह0 भैंसरोडगढ़ में स्थित खाता संख्या 60 खसरा संख्या 125 रकबा 0.01है0, आराजी संख्या 126 रकबा 0.69है0, आराजी संख्या 127 रकबा 1.08है0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.78है0 भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का उपरोक्त हक हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने का प्राथमिक डिक्री किया जाकर कमिश्नर तहसीलदार रावतभाटा से मौके के विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। कमिश्नर ने दिनांक 24.03.2026 को मौके के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये। प्राप्त प्रस्ताव पर उभयपक्ष की बहस सुनी प्राप्त प्रस्ताव से वकील वादी पक्ष द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं, प्राप्त प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री अनुरूप होने से वादीया का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भवानीपुरा प0ह0 भैंसरोडगढ़ में स्थित खाता संख्या 60 खसरा संख्या 125 रकबा 0.01है0, आराजी संख्या 126 रकबा 0.69है0, आराजी संख्या 127 रकबा 1.08है0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.78है0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन का अन्तिम डिक्री किया जाता है:-

वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रविष्टियाँ

क्र. सं.	नाम खातेदार व विवरण	आराजी संख्या	किस्म	रकबा	लगान
1.	नाराण पुत्र जोधा हि0 1/5 नारायण पिता जोधा हि0 1/5, प्रभु पुत्र जोधा हि0 1/5, प्रभु पुत्र जोधा भवंरी बाई पुत्री जोधा हि0 1/5 जाति रेगर सा0 भैंसरोडगढ़ खातेदार	125	गे0मु0 चाह	0.01	—
		126	चाही 2	0.69	10.35
		127	चाही 2	1.08	16.20
	योग	किता-3		1.78	26.55

प्रस्तावित बंटवाडा अनुसार प्रविष्टियाँ



क्र. सं.	खातेदारों के नाम व विवरण	आराजी संख्या	किस्म	रकबा (है०)	लगान
1.	नारायण पुत्र जोधा जाति रेगर हि० पूर्ण सा० भैंसरोडगढ खातेदार	127 / 1	चही 2	0.57	8.55
	योग	किता-1		0.57	8.55
2.	प्रभु पुत्र जोधा जाति रेगर हि० पूर्ण सा० भैंसरोडगढ खातेदार	126 127		0.23 0.34	3.45 5.10
	योग	किता 02		0.57	8.55
3.	भंवरी बाई पुत्री जोधा जाति रेगर हि० पूर्ण सा० भैंसरोडगढ खातेदार	126 127		0.31 0.26	4.65 3.90
		किता 02		0.57	8.55
4.	नारायण पुत्र जोधा 1/3 प्रभु पुत्र जोधा 1/3 भंवरी बाई पुत्री जोधा 1/3 जाति रेगर सा० भैंसरोडगढ खातेदार	125 127 126	गो०मु० चाह चाही 2 चाही 2	0.01 0.02 0.04	— 0.30 0.60
		किता 3		0.07	0.90

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार अमल दरामद किया जावे। निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को सुनाया गया। निर्णय अनुसार डिक्री जारी की जावे। नजरी नक्शा डिक्री का पार्ट रहेगा।



(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा